

**प्रपत्र**  
**ए०पी०टी०सी०**

( झारखण्ड मोटर वाहन नियमावली, 2001 का नियम 252 प देखें )

मोटर वाहन के निस्तरण जाँच हेतु प्राधिकरण-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण के लिए आवेदन पत्र ।

1. पूरा नाम एवं पता :-
2. व्यक्ति के आवेदक की दशा में पिता का नाम :-
3. जाँच केन्द्र का स्थल पूर्ण विवरणी के साथ :-
4. क्या वाहन खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह है :-  
(निदशा संलग्न करें)
5. क्या प्रशिक्षित यांत्रिक उपलब्ध है ? :-  
यदि हाँ तो कितने ? उनका नाम,  
पता और इस क्षेत्र में उनके अनुभव के  
संबंध में प्रमाण - पत्र दें
6. औजारों एवं उपकरणों की पूर्ण विवरणी :-  
इस प्रमाण-पत्र के साथ कि औजार एवं  
उपकरण केन्द्रीय मोटर वाहन, नियमावली के  
नियम 116 के उप-नियम(3) में उल्लेखित  
एजेंसियों में से किसी एक से अनुमोदित है
7. व्यक्ति/व्यक्तियों के उनके हस्ताक्षर के नमूना :-  
के साथ नाम जिन्हें प्रतियोग पर हस्ताक्षर के  
लिए नामित किया गया है

मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सही है। मैं यह जानता हूँ कि यदि दी गयी सूचना में कोई गलत पायी जाएगी, तो निस्तरण जाँच केन्द्र के लिए जो अनुज्ञप्ति दी गयी है वह रद्द कर दी जायगी ।

स्थान :-  
तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर